

27 <sup>11</sup>/<sub>2020</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं  
पैरोकार सरकार उप। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद  
तामिल अनुपस्थित है। पत्रावली दिनांक 25-02-21  
को पेश हो।

25 <sup>02</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज  
के उपरान्त भी वकील प्रार्थी अनुपस्थित है।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
प्रकरण में जिस भूमि से रास्ता चाहा गया  
है वह प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की जमाबंदी  
अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि है। इस  
कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
25। क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195  
चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर  
नम्बर से कम है।

          
25.02.2021

(सुरेश कुमार यादव)  
उपरवर्ण अधिकारी  
हिण्डोन (करौली)

